

कार्यालय थाना प्रभारी रामनगर जिला सतना (म.प्र.)

क्रमांक 422/17

दिनांक 16/03/17

प्रति

मुख्य नगर परिषद अधिकारी
नगर परिषद रामनगर जिला सतना

विषय- अप.क्र. 223/16 धारा 420,467,468,471,120बी,34 ताहि के सम्बंध में जानकारी वावत।
महोदय

विषयांकित लेख है कि आपके द्वारा दिनांक 13.07.16 को प्रस्तुत शिकायत नगर परिषद रामनगर के बैंक खाते से फर्जी तरीके 318000 रु निकाले जाने सम्बंधी आवेदन पत्र की जाँच पर से दिनांक 21.07.16 को थाना हाजा में अप.क्र. 223/16 धारा 420,467,468,471,120बी,34 ताहि का आरोपी 1. नीरज सिरिया पिता अनिल कुमार सिरिया उम्र 30 साल निवासी राझी जबलपुर तत्कालीन बैंक प्रबंधक इलाहाबाद बैंक शाखा रामनगर 2. सुरेन्द्र पटेल पिता सुदर्शन पटेल उम्र 38 साल निवासी रामनगर हाल लेखापाल नगर परिषद रामनगर 3. रामचन्द्र जयसवाल पिता कुन्जबिहारी जयसवाल उम्र 25 साल निवासी रामनगर हाल कर्मचारी नगर परिषद रामनगर के विरुद्ध कायम किया गया था। चालान क्र. 328/16 दिनांक 14.12.16 तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह जे.एम.एफ.सी महोदय अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 25/17 दिनांक 16.01.17 को पेश किया गया है। जो विचाराधीन माननीय न्यायालय है।

अतः चाही गयी उपरोक्त जानकारी प्रेषित है।

(सचिव)
16/3

थाना प्रभारी-9-17
थाना सखनगर
जिला सतना (म.प्र.)

सिंह
सचिव

अनुपम अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग